न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 19/2013 निर्णय दिनांक :– 27.12.2024

उनवानी वादः–

1. बन्ना पुत्र स्व. श्री रामजीवन जाहि जाट निवासी आकोडिया (सथली) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. रामधन पुत्र स्व. श्री रामजीवन जाति जाट निवासी आकोडिया (संथली) तहसील जिला टोंक (राज.)
3. जमना पुत्री स्व. श्री रामजीवन जाति जाट निवासी आकोडिया (संथली) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. गोकल पुत्री स्व. श्री रामजीवन जाति जाट निवासी आकोड़िया (संथली) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–वादीगण–

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र श्री कल्याण जाति जाट निवासी आकोडिया (संथली) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. दुर्गालाल पुत्र श्री कल्याण जाति जाट निवासी आकोडिया (संथली) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. अम्बालाल पुत्र श्री कल्याण जाति जाट निवासी आकोडिया (संथली) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. हगामी पत्नी दुर्गालाल जाति जाट निवासी आकोडिया (संथली) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
5. बदामी पत्नी प्रहलाद जाति जाट निवासी आकोड़िया (संथली) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
6. सांवली पत्नी अम्बालाल जाति जाट निवासी आकोडिया (संथली) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री राजेश जैन
अधिवक्ता वादीगण

श्री एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
प्रतिवादी संख्या 1 ता 6

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खाता सं. 103 खसरा नम्बर 1166 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 1167 रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम आकोडिया पटवार हल्का संथली तहसील देवली जिला–टोंक में स्थित हैं। उक्त आराजी वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। वादीगण ने उक्त आराजीयात में गेहूं की फसल काश्त करने के लिए उक्त आराजीयात को हक जोत कर तैयार कर रखे हैं। वादीगण की उक्त खातेदारी एवं कब्जा–काश्त की भूमि से प्रतिवादीगण का कोई लेना–देना एवं संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण धनबलशाली राजनीतिक पहुंच वाले व्यक्ति है एवं वादीगण

की निर्धनता एवं शराफत का अनुचित लाभ उठाकर लठ के जोर पर वादीगण की उक्त आराजी में वादीगण को फसल काश्त नहीं करने दे रहे हैं तथा लडाई–झगड़ा कर वादीगण को अनाधिकृत रूप से बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है जिससे वादीगम को फसल काश्त करने में काफी बाधा उत्पन्न हो रही है। प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में भी वादीगण के साथ उक्त आराजी को लेकर लडाई–झगड़ा किया था। जिसका मुकदमा थाना दूनी में जैरकार हैं। वादीगण उक्त आराजी में फसल काश्त करने के लिए मौके पर गये तो प्रतिवादीगण ने वादीगण को उक्त आराजी में घुसने नहीं दिया और वादीगण के साथ लडाई–झगड़ा व मारपीट करने पर आमादा हो गये और सभी प्रतिवादीगण ने वादीगण को ऐलानिया जान से मारने की धमकि दी कि वादीगण में दम हैं तो हमें (प्रतिवादीगण) को काश्त करने से रोक के बताये। प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे उक्त अतिक्रमण के प्रयास को नहीं रोका गया तो प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की जमीन पर जबरन शक्ति के बल पर कब्जा कर लेगे तथा वादीगण को उनकी भूमि से वंचित कर बेदखल कर देगें। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से सदा के लिए पाबंध किया जावे कि वे स्वयं जरिए एजेन्ट, नौकर–चाकर य पारिवारिक सदस्यों से वादीगण को उक्त आराजी में फसल काश्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल नहीं करे, वादीगण के कब्जे काश्त, व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे वादीगण के साथ लड़ाई–झगड़ा नहीं करे तथा पाबंद रहे। यदि प्रतिवादीगण को उक्तानुसार पाबंद नहीं किया गया तो प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा कर लेगें तथा उनको फसल काश्त नहीं करने देगें। जिससे वादीगण को काफी नुवसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी रूप में संभव नहीं होगा।

वाद कारण सात दिन पूर्व उत्पन्न हुआ जब वादीगण अपनी उक्त आराजी में गेहूं की फसल काश्त करने के लिए मौके पर गये तो प्रतिवादीगण ने वादीगण को उक्त आराजी में घुसने नहीं दिया और वादीगण के साथ लड़ाई–झगड़ा व मारपीट करने पर करने लगे तथा वादीगण को ऐलानिया जान से मारने की धमकिया दी तभी से लगातार उत्पन्न हो रहा है जो निरन्तर जारी हैं। पक्षकारान व उक्त आराजीयात श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त वाद पत्र का श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है। उक्त वाद पत्र उचित कोर्ट फीस व अंदर मियाद पेश है।

वादीगण की अधियाचना हैं कि –

(अ) यह कि वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि बाद पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खाता सं. 103 खसरा नम्बर 1166 रकबा 0.31 है0 खसरा नम्बर 167 रकबा 0.22है कुल किता 2 कुल रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम आकोड़िया पटवार हल्का सथली तहसील देवली जिला–टोंक में स्थित है, में वे

स्वयं जरिए एजेन्ट नौकर–चाकर या पारिवारिक सदस्यों से वादीगण को उक्त आराजी में फसल काश्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे, वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल नहीं करे वादीगण के कब्जे काश्त, व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, वादीगण के साथ लडाई–झगडा नहीं करे तथा पाबंध रहे।

(ब) खर्चा मुकदमा व अन्य जो सहायता वादीगण के हित मे हो प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द शर्मा ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार है– वाद पत्र चरण नं. 1 मे आराजी भूमि वादीगण की खातेदारी में होना स्वीकार है शेष इबारत गलत है, स्वीकार नहीं है। उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण का 30–40 वर्षों से कब्जा काश्त है। वाद पत्र का चरण नं. 2 गलत है, स्वीकार नही वाद पत्र का चरण नहीं है। वाद पत्र का चरण नं. 3 गलत है, स्वीकार नही । प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर मौके के अनुसार हुये बंटवारे के हिसाब से काबिज है और काश्त करते आ रहे है, मौके पर कभी झगड़ा नहीं हुआ है। वाद पत्र चरण नं. 4 गलत है स्वीकार नहीं है। वाद पत्र का चरण नं. 5 गलत है, स्वीकार नहीं है। स्पष्टीकरण विशेष आपतियों में अंकित है। वाद पत्र का चरण नं. 6 गलत है, स्वीकार नही है। वाद पत्र का चरण नं. 7 गलत है, स्वीकार नही है। वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वाद पत्र का चरण नं. 8 व 9 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। वाद पत्र का चरण नं 10 मे अधियाचना अ व ब पूर्ण रूप से गलत है, स्वीकार नही है। वादीगण किसी प्रकार से भी प्रतिवादीगण को पाबंद कराने के अधिकारी नही है। ।। विशेषण आपतियां ।। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक दूसरे के आपस में दूर के रिश्ते में भाई बंध है और अन्य आराजी में सह खातेदार है । खसरा नम्बर 16, 17, 18, 95, 96, 97, 100, 381, 384, 385, 386, 478, 481, 482, 501, 502, 503, 504, 530, 533 वाले ग्राम कनवाडा है। उक्त संयुक्त आराजी की भूमि में वादीगण ने ज्यादा भूमि काश्त कर रखी है तथा 30–40 वर्षो से काश्त करने के लिए दे रखी है। तभी से प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त है। जिन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाये।

तनकियात बिन्दू कायम कर सुनाये गये।

तनकियात बिन्दूः–

1. **आया वादी गण वादग्रस्त आराजी खसरा नं० 1166 रकबा 0.31 है0, 1167 रकबा 0.22 है0 कुल दो किता कुल रकबा 0.53 है0 ग्राम आकोडिया प0ह0 संथली स्थित आराजी मे वादीगण के कब्जेकाश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखलन्दाजी नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के हकदार है ?**

–वादीगण–

2. आया प्रतिवादी सं. 1 ता 6 विवादित भूमि पारिवारिक बंटवारे से ये लोग काबिज चले आ रहे हैं, और आराजी पर 30–40 सालों से प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं, वादीगण का दावा न्यायोचित नहीं है ?

–प्रतिवादीगण–

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 बन्ना पुत्र स्व. श्री रामजीवन जाति जाट निवासी आकोड़िया (संथली) तहसील देवली जिला टोंक (राज.) का पेश किया।

वादी पी. डब्ल्यू–1 ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः–प्रदर्श–1 जमाबंदी प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस।

प्रतिवादीगण असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद मिमो को दोहराते हुए वाद वर्णित आराजी में प्रतिवादीगण को पाबन्द करने की प्रार्थना की।

तनकीवार निर्णयः–

तनकी नं. 1:–तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2067–70 व प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस पेश किये। वादी बन्नालाल ने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया।

उक्त प्रदर्शो का विवेचन करने पर यह जाहिर है कि वादीगण विवादित आराजी के खातेदार है और प्रतिवादीगण ने अपने जवाब बताया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक दूसरे के आपस में दूर के रिश्ते में भाई बंध है और अन्य आराजी में सह खातेदार है । खसरा नम्बर 16, 17, 18, 95, 96, 97, 100, 381, 384, 385, 386, 478, 481, 482, 501, 502, 503, 504, 530, 533 वाले ग्राम कनवाड़ा है। उक्त संयुक्त आराजी की भूमि में वादीगण ने ज्यादा भूमि काश्त कर रखी है तथा 30–40 वर्षो से काश्त करने के लिए दे रखी है। उक्त उल्लेखित जवाब के विरूद्ध वादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य व सबूत पेश नही किये है कि वादीगण की विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण कब्जेकाश्त में बाधा व मजामहत करते है। अतः वादीगण द्वारा वाद को साक्ष्य व सबूत के माध्यम से साबित नहीं करने के कारण इस तनकी का निर्णय विरूद्ध वादीगण किया जाता है।

तनकी नं. 1:–तनकी नं. 2 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब के समर्थन में कोई दस्तावेजी व प्रलेखिय साक्ष्य पेश नहीं किये है और प्रतिवादीगण के विरूद्ध के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा भी इस तनकी को दस्तावेजी व प्रलेखिय साक्ष्य से साबित नहीं करने के कारण इस तनकी का निर्णय विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है।

आदेश

उक्त तनकीवार विवेचन से वाद वादीगण खारिज किया जाता है। तद्नुसार एकपक्षीय डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 27.12.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी..
मुकाम देवली व अलजाम श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टो...................
उनवानी वादः–

1. बन्ना पुत्र स्व. श्री रामजीवन जाहि जाट निवासी आकोडिया (सथली) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. रामधन पुत्र स्व. श्री रामजीवन जाति जाट निवासी आकोडिया (संथली) तहसील जिला बैंक (राज.)
3. जमना पुत्री स्व. श्री रामजीवन जाति जाट निवासी आकोडिया (संथली) तहसील देवली जिला टॉक (राज.)
4. गोकल पुत्री स्व. श्री रामजीवन जाति जाट निवासी आकोडिया (संथली) तहसील देवली जिला टाक (राज.)

–वादीगण–

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र श्री कल्याण जाति जाट निवासी आकोडिया (संथली) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. दुर्गालाल पुत्र श्री कल्याण जाते जाट निवासी आकोडिया (संथली) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. अम्बालाल पुत्र श्री कल्याण जाति जाट निवासी आकोडिया (संथली) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. हगामी पत्नी दुर्गालाल जाति जाट निवासी आकोडिया (संथली) तहसील देवली जिला टॉक (राज.)
5. बदामी पत्नी प्रहलाद जाति जाट निवासी आकोडिया (संथली) तहसील देवली जिना टोंक (राज.)
6. सांवली पत्नी अम्बालाल जाति जाट निवासी आकोडिया (संथली) तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 19 सन् 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री राजेश जैन अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, एकपक्षीय डिक्री दी जाती है कि...

आदेश

वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

निजी...मुवक्लिक.......................................बाबत् ....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 12 सन् 2024 को जारी किया गया।

बदस्तखत ....

मुहर

ओहदा ....

उपखण्ड [illegible]
देवली (टोंक)

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत			स्टाम्प अदालत		
नामा			मेहनतान वकील		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
मेहनतान वकील			फीस कमिश्नर		
खर्चा गवाहान			बाबत्		
फीस कमिश्नर			इजरायहुक्मनामा		
बाबत्			अन्य मिजान		
इजरायहुक्मनामा					
अन्य					
मिजान					

नोट :— इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए